Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 17-2018] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2018
(04 वैशाख, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 27/संवि०/अनु० 309/2018, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 – हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (वर्ग क) संशोधन नियम, 2018. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	417–418
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग –III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 अप्रैल, 2018

संख्या सा०का०नि० 27/संवि०/अनु० 309/2018 .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (वर्ग क) नियम 2013 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (वर्ग क) संशोधन नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (वर्ग क) नियम, 2013 में, नियम 5 में, "चालीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगें।

डॉ० एस० एस० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 17th April, 2018

No. G.S.R. 27/Const./Art. 309/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following Rules further to amend the Haryana State Prosecution Department Legal Service (Group A) Rules, 2013, namely:-

1. These rules may be called the Haryana State Prosecution Department Legal Service (Group A) Amendment Rules, 2018.
2. In the Haryana State Prosecution Department Legal Service (Group A) Rules, 2013, in rule 5, for the words "forty years", the words and sign "forty-two years" shall be substituted.

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

56146—C.S.—H.G.P., Chd.